



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082022-237790  
CG-DL-E-01082022-237790

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3413]  
No. 3413]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त, 2022

सं. 23/2015-2020

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 29 के तहत एचएस कोड 29335200 की आयात नीति में संशोधन।

का. आ. 3578(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची - I (आयात नीति) के अध्याय 29 के तहत एचएस कोड 29335200 की नीतिगत शर्त को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती है:—

एचएस कोड	मदों का विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
	संरचना में पाइरीमिडीन रिंग (हाइड्रोजनीकृत हो या नहीं)	मुक्त	अध्याय 29 की नीतिगत शर्त संख्या 3 के अधीन अर्थात् 'मद	हटा दिया गया है।

29335200	या पाइपरजीन रिंग युक्त यौगिकः— मैलोनील्यूरिया (बार्बिट्यूरिक अम्ल) और उसके लवण		के आयात से पहले नारकोटिक्स कमि"नर, ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आव"यक है"	
----------	--	--	---	--

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: मैलोनील्यूरिया (बार्बिट्यूरिक अम्ल) और उसके लवणों का आयात नारकोटिक्स कमि"नर, ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना अनुमत होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01 / 89 / 180 / विविध-3 / एएम-04 / पीसी-2(क) / ई-1877]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार  
और पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st August, 2022

**No. 23 /2015-2020**

**Subject: Amendment in import policy condition of HS Code 29335200 under Chapter 29 of ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy)**

**S.O. 3578(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of HS Code 29335200 under Chapter 29 of ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy), with immediate effect, as under:

HS code	Item description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
29335200	Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure : -- Malonylurea (Barbituric Acid) and its salts	Free	Subject to Policy Condition No. 3 of Chapter 29 i.e. "No Objection Certificate (NOC) is required from Narcotics Commissioner, Gwalior, before import of the item"	Deleted

2. **Effect of this Notification:** Import of Malonylurea (Barbituric Acid) and its salts shall be allowed without NOC from Narcotics Commissioner, Gwalior.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[ F. No 01/89/180/Misc-3/AM-04/PC-2[A]/E-1877]

SANTOSH KUMAR SARANGI, DGFT & Ex- officio Addl. Secy.